भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1776
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1776. श्री माथेश्वरन वी. एस:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के बीच रियायत समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर करते समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सहमति मांगी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि रियायत समझौता मैसूर और हसन हवाई अड्डे को छोड़कर 2033 से पहले केआईए के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी नए या मौजूदा हवाई अड्डे के विकास/सुधार/उन्नयन की अनुमति नहीं देता हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार को होसुर हवाई अड्डे के विकास/उन्नयन के लिए तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 5 जुलाई, 2004 को बेंगलुरू में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (केआईए) के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए मेसर्स बेंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के साथ एक रियायत समझौता किया है। रियायत समझौते के खंड 5.2 के अनुसार, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (केआईए), बेंगलुरु की 25वीं वर्षगांठ से पहले बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे (मैसूर और हासन हवाईअड्डों को छोड़कर) को विकास/सुधार/उन्नयन की अनुमति नहीं है, जिसका प्रचालन 24 मई, 2008 किया गया था।

वर्ष 2004 में बीआईएएल के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करते समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकारों की सहमति नहीं ली गई, क्योंकि वायुमार्ग, विमान और विमान दिक्चालन, हवाईअड्डों का प्रावधान, हवाई यातायात और हवाईअड्डों का विनियमन और संगठन से संबंधित मामले भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची का हिस्सा हैं।

(घ): भारत सरकार को तमिलनाडु के होसुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार या किसी हवाई अड्डा डेवलपर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******